

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । आदेश

02/नि.स्था. (प्रो. -01) - 12/2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा अधिसूचित "अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023" में निहित शर्तों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 08.09.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-01 (घ) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (पे लेवल-08) को वरीयता एवं अर्हता पूरी करने के आधार पर मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (प्रोन्नति का द्वितीय स्तर, पे लेवल-09) के उच्चतर पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र.	नाम	वर्तमान पदनाम	वरीयता क्रमांक
1	2	3	4
1	नीरज कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	275
2	प्रमोद कुमार सिंह	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	276
3	मुकुंद कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	277
4	मणिष भूषण	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	278
5	महामाया कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	279
6	रवीश कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	281
7	विनोद कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	283
8	भागिरथ प्रसाद	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	284
9	कैलाश कुमार कौशल	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	285
10	अमृतेश कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	286
11	नीरज कुमार कंठ	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	288
12	राजेश कुमार पंडित	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	289
13	कुंदन कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	292
14	मनीष कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	293
15	नागेन्द्र कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	294
16	अरुण कुमार लाल	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	296
17	उमेश कुमार	वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	297

- उपर्युक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान धारित पद को अगले आदेश तक मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उक्त कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उच्चतर पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।
- कार्यकारी व्यवस्था के यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से प्रदान की जा रही है।
- उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(भरत कुमार)
संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8166 / पटना, दिनांक 11.09.2025

02/नि.स्था. (प्रो. -01) - 12/2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी सहायक निबंधक, स.स. (खादी एवं बुनकर सहित)/जिला सहकारिता पदाधिकारी/संयुक्त निबंधक, स.स./जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्राचार्य, सहकारिता

प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा/सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

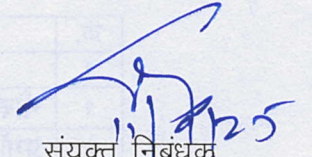
प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना/प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई.टी.मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।



संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

